

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

Press Release

दिनांक :- 11.10.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर प्रथम चरण के निर्वाचन वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नवत् हैं:-
- | | | |
|-------|---|--------------------|
| (i) | Number of Assembly Constituencies going to poll | 49 |
| | No. of Districts involved | 10 |
| (ii) | Electors | |
| | Total Electors | 1,35,72,339 |
| | a) General Elector | 1,35,55,260 |
| | Male | 72,37,253 |
| | Female | 63,17,602 |
| | Others | 405 |
| | b) Service Elector | 17,079 |
| | Male | 11,783 |
| | Female | 5,296 |
| | Others | 0 |
| (iii) | Total No. of ASD electors | 3,60,235 |
| (iv) | No. of Candidates | 583 |
| | Male | 529 |
| | Female | 54 |
| (v) | Polling Station | 13,212 |
| | Main Polling Stations | 12,686 |
| | Auxiliary Polling Stations | 526 |
| (vi) | No. of Polling Station Location | 9,301 |
| (vii) | No. of EVMs to be used | |

	CU	13,212
	BU	14,413
(viii)	No. of VVPATs to be used	2,141
(ix)	No. of ECI Observers	
	General Observers	49
	Expending Observers	18
	Police Observers	10
	Awareness Observers	10
(x)	No. of Employees given Postal Ballots	18,938
(xi)	No. of Employees casted vote through Postal Ballots	13,791
(xii)	No. of NBWs against accused persons executed after announcement of election	10,080
(xiii)	No. of Vulnerable Hamlets	6,102
(xiv)	No. of electors identified as vulnerable	3,48,971
(xv)	No. of identified trouble makers in vulnerability mapping	15,341
(xvi)	No. of Bonds taken under section 107 Cr. P.C.	47,392

2. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदाताओं को बी०एल०ओ० के माध्यम से उनके घर पर ही मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जा रही है। प्रथम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 96.20% मतदाताओं को मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जा चुकी है। जिन मतदाताओं को मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुई है वे मतदान की तिथि दिनांक 12.10.2015 को अपने मतदान केन्द्र पर जा कर बी०एल०ओ० के माध्यम से मतदाता पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। यदि मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुई है तो ईपिक अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर भी अपनी पहचान स्थापित करते हुए मतदाता अपना मतदान कर सकते हैं। मतदाता पर्ची स्वयं ही मतदान के समय मतदाता की पहचान स्थापित करने हेतु वैकल्पिक दस्तावेज है। मतदान हेतु मतदाता पर्ची की मूल प्रति ही स्वीकार्य होगी।

3. Other Details

Name of Distt.	Samastipur	Begusarai	Khagaria	Bhagalpur	Banka	Munger	Lakhisarai	Sheikhpura	Nawada	Jamui	Total
No. of critical polling stations	1004	1188	487	1923	854	520	252	113	999	44	7384
No. of LWE polling stations	62	173	231	36	594	302	168	1	297	391	2255
No. of Micro Observer deployed	640	228	258	502	275	185	71	35	126	280	2600
No. of Polling Personnel deployed	10937	8243	5002	10421	7303	4484	3062	2456	6305	5411	63624
No. of Police Personnel deployed	11547	6420	949	5779	8926	2240	5699	3078	1032 8	936	55902
No. of Android Mobile deployed	100	4	40	70	9	13	12	20	31	40	339
No. of Video Camera deployed	155	37	308	42	120	30	20	77	54	92	935
No. of PS using Live Web Casting	105	61	41	99	70	60	5	22	28	85	576
Air Surveillance – Helicopter/UAV											5
No. of vehicle required in 1 st phase											18,079
No. of Motor Boat to be used in 1 st phase for Riverine patrolling											33
Mounted Police Force to be used for patrolling											50
Air Ambulance											1

4. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर Basic Minimum Facilities के तहत निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जा रही हैं :-
- (i) रैम्प की व्यवस्था
 - (ii) शुद्ध पेयजल की व्यवस्था
 - (iii) बैठने हेतु फर्नीचर आदि की व्यवस्था
 - (iv) रौशनी की व्यवस्था
 - (v) हेल्प डेस्क की व्यवस्था
 - (vi) टॉयलेट की व्यवस्था (महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग)
5. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान की तिथि को मतदान केन्द्रों पर विकलांग/नेत्रहीन मतदाताओं की सहायता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:-
- (i) मतदान केन्द्रों पर रैम्प की व्यवस्था।
 - (ii) निःशक्त मतदाताओं को व्हील चेयर द्वारा मतदान केन्द्र के अन्दर ले जाने की सुविधा।
 - (iii) नेत्रहीन मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केन्द्रों पर मतदान करने के लिए ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट की सुविधा।
 - (iv) किसी 18 साल से अधिक उम्र के सहयोगी की मदद से मतदान केन्द्र पर मतदान करने की सुविधा।
6. आज दिनांक 11.10.2015 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित वैकल्पिक दस्तावेजों को निम्न रूप में पढ़ा जाये :-
- 1 पासपोर्ट
 - 2 ड्राइविंग लाइसेंस
 - 3 राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
 - 4 बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
 - 5 पैन कार्ड
 - 6 आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड
 - 7 मनरेगा जॉब कार्ड

- 8 श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
 - 9 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
 - 10 निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची एवं
 - 11 सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
7. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर प्रथम चरण के विधान निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही सभी प्रकार के शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
 8. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) के अनुसार "कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान – (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या (ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे किसी अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।" अतः प्रथम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही उक्त प्रतिबंध लागू होंगे।
 9. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन प्रथम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 12.10.2015 (सोमवार) को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।
 10. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के प्रथम चरण के 49 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान दिनांक 12.10.2015 (सोमवार) को निर्धारित है। इन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय निम्नवत् है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	मतदान का समय
1	2	3
समस्तीपुर	131- कल्याणपुर (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	132- वारिसनगर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	133- समस्तीपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	134- उजियारपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	135- मोरवा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	136- सरायरंजन	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	137- मोहिउद्दीननगर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	138- विभूतिपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	139- रोसड़ा (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	140- हसनपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
बेगूसराय	141- चेरिया बरियारपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	142- बछवाड़ा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	143- तेघड़ा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	144- मटिहानी	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	145- साहेबपुर कमाल	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	146- बेगूसराय	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	147- बखरी (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
खगड़िया	148- अलौली (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
	149- खगड़िया	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	150- बेलदौर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
	151- परबत्ता	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
भागलपुर	152- बिहपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	153- गोपालपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	154- पीरपैती (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	155- कहलगांव	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	156- भागलपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	157- सुलतानगंज	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	158- नाथनगर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
बांका	159- अमरपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	160- धौरैया (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	161- बांका	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	162- कटोरिया(अ0ज0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
	163- बेलहर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक

मुंगेर	164- तारापुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	165- मुंगेर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	166- जमालपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
लखीसराय	167- सूर्यगढ़ा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	168- लखीसराय	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
शेखपुरा	169- शेखपुरा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	170- बरबीघा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
नवादा	235- रजौली (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	236- हिसुआ	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	237- नवादा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	238- गोबिन्दपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	239- वारसलीगंज	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
जमुई	240- सिकन्दरा (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	241- जमुई	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	242- झांझा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	243- चकाई	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक

11. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के प्रथम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा अभी तक कुल निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	143
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	15
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	23
Violation of Loudspeaker Act	4
Illegal Meeting/Speech etc.	5
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	1
Others	23

12. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के प्रथम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले अभी तक सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized	304
No. of Explosives seized	105
No. of cartridges seized	940

No. of Bombs seized	61
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	25
No. of Licensed Arms deposited	6,998
No. of Licensed Arms Cancelled	1,173
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	47,384
No. of non-bailable warrants executed	14,932
Fine collected in vehicle checking	Rs. 2,10,41,179

13. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयकर विभाग के अधिकारियों को दिये गये निदेश के अनुरूप आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा आज दिल्ली और मुजफ्फरपुर में किये गये सर्च ऑपरेशन के आधार पर लगभग 19 करोड़ रुपये बिना किसी लेखा-जोखा के पाया गया है जिसमें 5 करोड़ रुपया दिल्ली के 9 व्यक्तियों द्वारा तथा मुजफ्फरपुर में 13.75 करोड़ रुपया 5 व्यक्तियों के पास पाया गया। आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्तमान में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। अनुसंधान में प्राप्त तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। प्रारंभिक सूचना के अनुसार यह राशि मुजफ्फरपुर जिला के कपड़ा के थोक व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है। इस मामले को हवाला से जुड़े होने के बिन्दु पर भी जाँच की जायेगी।

14. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 3,560 लीटर अवैध शराब के अतिरिक्त वैशाली जिला में 4 खोखा जब्त किया गया।

पश्चिम चम्पारण जिला में ₹7,18,580/-, मुजफ्फरपुर जिला में ₹4,65,740/- एवं वैशाली जिला में ₹18,53,021/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

15. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	7
Violation of Loudspeaker Act	1
Illegal Meeting/Speech etc.	5
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	1

Others	18
16. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-	
No. of Arms/Weapons seized	5
No. of cartridges seized	25
No. of Bombs seized	3
No. of Licensed Arms deposited	992
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	3,591
No. of non-bailable warrants executed	417
Fine collected in vehicle checking	Rs. 9,73,227
17. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-	
No. of prohibition cases registered	61
No. of raids conducted	134
Volume of illicit liquor seized during raids	2,543 litre
No. of persons arrested	60
Amount of fine imposed	Rs. 1,30,200
